राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(8)न्याय / 16 जयपुर, दिनांक 11.7.17

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1981 के अन्तर्गत श्रीमती ऋतु शर्मा, वरिष्ठ विधि अधिकारी को राजस्थान विधि सेवा संवर्ग में सहायक विधि परामर्शी के पद पर वेतनमान पे बैण्ड–3 15600–39100 ग्रेड पे–16 6000 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एतद्द्वारा आवश्यक अस्थाई तौर पर (तदर्थ आधार पर) पदोन्नत किया जाता है।

श्रीमती ऋतु शर्मा, वरिष्ठ विधि अधिकारी को पदोन्नति कार्मिक विभाग की आई.डी. संख्या 1296 / कार्मिक / क–2 / 16 दिनांक 06.12.2016 एवं आई.डी. संख्या 799 / कार्मिक / क–2 / 17 दिनांक 07.07.2017 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती हैः–

1. यह पदोन्नति पूर्णतया आवश्यक अस्थाई आधार पर अग्रिम आदेश होने तक बिना किसी नियमित पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदत्त किये, दी जा रही है।
2. यह पदोन्नति पूर्णतया आवश्यक अस्थाई आधार पर छः माह अथवा नियमित डीपीसी से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक में से जो भी पहले हो, तब तक के लिए है।
3. जिस पद पर पदोन्नति दी जा रही है, उस पद से कभी भी पदावनति की जा सकेगी।
4. आवश्यक अस्थाई पदोन्नति से किसी भी प्रकार की वरिष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।
5. पदोन्नति से किसी भी उच्च पद पर नियमित पदोन्नति में पात्रता एवं वरिष्ठता संबंधी लाभ देय नहीं होगा और वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
6. आवश्यक अस्थाई पदोन्नति नियमित पदोन्नति की मांग का आधार नहीं होगी और न ही नियमित पदोन्नति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त होगा।
7. आवश्यक अस्थाई पदोन्नति केवल नियमित पदोन्नति से पदोन्नत राजसेवक उपलब्ध होने तक ही मान्य होगी, इसके उपरान्त इनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
8. इन आवश्यक अस्थाई पदोन्नतियों से आरक्षण कोटा किसी भी तरह प्रभावित नहीं होगा।

श्रीमती ऋतु शर्मा के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जा रहे है।

आज्ञा से

11.07.17

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, निजी सचिव, माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. सहायक शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग
4. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित अधिकारी / संबंधित विभाग / रक्षित पत्रावली।

11.07.17

संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\ORDER.docx